

कृतिका

भाग 2

कक्षा 10 'अ' पाठ्यक्रम के लिए
हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक



1056



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

1056 – कृतिका (भाग 2)

कक्षा 10 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-718-3

प्रथम संस्करण

मार्च 2007 चैत्र 1929

पुनर्मुद्रण

नवंबर 2007, जनवरी 2009, दिसंबर 2009,
नवंबर 2010, जनवरी 2012, जनवरी 2013,
नवंबर 2013, नवंबर 2014, दिसंबर 2015,
दिसंबर 2016, दिसंबर 2017, दिसंबर 2018,
सितंबर 2019, जनवरी 2021 और नवंबर 2021

संशोधित संस्करण

अक्तूबर 2022 कार्तिक 1944

पुनर्मुद्रण

मार्च 2024 चैत्र 1946

जून 2024 ज्येष्ठ 1946

जनवरी 2025 माघ 1946

दिसंबर 2025 अग्रहायण 1947

PD 180T M

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
2007, 2022

₹ 25.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा मैजिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, 26-ई, सेक्टर-31, इंडस्ट्रियल साइट, IV, ग्रेटर नोएडा, जी.बी. नगर (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108ए 100 फोर्ट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्डंकेरे

बनारसकरी प्प इस्टेज

बेंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस

निकट: धनकल बस स्टॉप पनितरी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781 021

फोन : 0361-267486

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम.वी. श्रीनिवासन

मुख्य संपादक : बिज्ञान सुतार

मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार

मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी) : दीपक जैसवाल

सहायक संपादक : मुन्नी लाल

सहायक उत्पादन अधिकारी : दीपक कुमार

आवरण एवं चित्र

अरविंदर चावला

छविचित्र

निधि बाधवा



राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का एक प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन कर सकेंगे। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों

में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों के योगदान को संभव बनाने के लिए परिषद् उनके प्राचार्यों एवं उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में उदारतापूर्वक सहयोग दिया। परिषद् माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देती है। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 नवंबर 2006

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्



पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन



कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है —

- स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक पाठ्यपुस्तकों में समान विधाओं का समायोजन;
- भाषायी दक्षता के लिए सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति संबंधी विषय वस्तु की उपस्थिति;
- कोविड महामारी से पैदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम-बोझ और परीक्षा तनाव को कम करना;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।

गांधी जी का जंतर

तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ :

जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ति याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।



राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ पूरक पाठ्यसामग्री के निर्माण पर भी विशेष बल दिया गया है ताकि विद्यार्थियों में तरह-तरह की किताबें पढ़ने की आदत विकसित हो। पाठ्यपुस्तक के गहन अध्ययन की सीमा से बाहर वे स्वयं पढ़कर अपने अनुसार साहित्य की समझ बना सकें। इतना ही नहीं आज के जीवन के तरह-तरह के दबावों और आकर्षणों के बीच भी वे किताबों की दुनिया से जुड़े रहें।

पाठ्यपुस्तक की अपनी सीमा होती है और कई प्रमुख रचनाकार और विधाएँ उस सीमा के कारण छूट जाते हैं। उनमें से कुछ रचनाकारों और विधाओं से पूरक पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों को परिचित कराया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की उम्र, रुचि और योग्यता के अनुसार इस पूरक पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया गया है।

कृतिका भाग-2 में तीन रचनाएँ संकलित की गई हैं। तीनों रचनाएँ अपने कथ्य, शिल्प और प्रस्तुति में विशिष्ट हैं। **देहाती दुनिया** जैसी कृति एक अलग तरह की विषयवस्तु और कथा-शिल्प की प्रयोगधर्मिता के कारण साहित्य जगत में चर्चित रही है। यहाँ **देहाती दुनिया** अपने ढंग की अकेली औपन्यासिक कृति है। इस रचना से एक अंश संकलित किया गया है जिससे हमारे किशोर विद्यार्थी हिंदी की समृद्ध लोकसंस्कृति से परिचय प्राप्त कर सकें।

इसी तरह मधु कांकरिया का यात्रा-वृत्तांत **साना-साना हाथ जोड़ि...** और अज्ञेय का आत्मकथात्मक निबंध **मैं क्यों लिखता हूँ?** के माध्यम से विद्यार्थियों का विचार बोध, भावबोध और भाषा बोध भी समृद्ध होगा। कहना न होगा कि ये तीनों रचनाएँ मिलकर विविधता और रोचकता से भरपूर साहित्य का एक नया संसार रचती हैं।

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ संकलित रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

माता का अँचल

यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास **देहाती दुनिया** से लिया गया है। सन् 1926 में प्रकाशित **देहाती दुनिया** हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं यह स्मरण-शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गँवार, निरक्षर हलवाए और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा-शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है।

संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गाँव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते-करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है।

साना-साना हाथ जोड़ि...

महानगरों की भाव-शून्यता, भागमभाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर-दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा-वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। **साना-साना हाथ जोड़ि...** में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंतोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल-पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से निहार रहे हों। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा-वृत्तांत में देखी जा सकती है।

लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग

अपनी जान गँवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जाग्रत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का अहसास होता है।

यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ-साथ भाषा और संस्कृति का आदान-प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं घुमक्कड़ी हमें अपने 'स्व' की संकीर्णता से भी मुक्त करती है।



मैं क्यों लिखता हूँ ?

हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है? अज्ञेय का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा है।

अज्ञेय ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञेय का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव-जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। अज्ञेय ने **हिरोशिमा** कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है।

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति



अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

सदस्य

अनिता वैष्णव, पी.जी.टी. (हिंदी), दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज, नयी दिल्ली।

अनुराधा, पी.जी.टी. (हिंदी), सरदार पटेल विद्यालय, लोधी एस्टेट, नयी दिल्ली।

दिविक रमेश, प्राचार्य, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, नयी दिल्ली।

दुर्गा प्रसाद गुप्ता, रीडर, हिंदी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली।

निरंजन देव, प्राचार्य, भारत-भारती स्कूल, ढालपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

निरंजन सहाय, प्रवक्ता (हिंदी), पं. उदय जैन महाविद्यालय, कानोड़ जिला, उदयपुर।

माधवी कुमार, रीडर, सी.आई.ई.टी., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

वीरेंद्र सिंह रावत, फील्ड ऑफिसर, शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

शारदा कुमारी, प्रवक्ता, डाइट, आर.के.पुरम, नयी दिल्ली।

हिमांशु पंड्या, प्रवक्ता (हिंदी), भूपाल नोबल्स, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उदयपुर।

सदस्य समन्वयक

चन्द्रा सदायत, प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।



इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए परिषद् शंभुनाथ, निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा; रामबक्ष, प्रोफेसर (हिंदी), इग्नू, नयी दिल्ली; कमल कुमार, रीडर (हिंदी), जीसस एंड मेरी कॉलेज, नयी दिल्ली; नीलकंठ कुमार, पी.जी.टी. (हिंदी), राजकीय बाल विद्यालय न. 1, पालम गाँव की आभारी है।

परिषद् रचनाकारों, रचनाकारों के परिजनों, संस्थानों, प्रकाशकों के प्रति आभारी है जिन्होंने रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की।

पुस्तक निर्माण संबंधी कार्यों में तकनीकी सहयोग के लिए परिषद् कंप्यूटर स्टेशन इंचार्ज (भाषा विभाग) परशराम कौशिक; डी.टी.पी. ऑपरेटर सचिन कुमार एवं विजय कौशल; कॉपी एडिटर वरुणा मित्तल एवं प्रूफ रीडर दुर्गा देवी की आभारी है।

परिषद्, इस संस्करण के पुनर्संयोजन के लिए पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों एवं विषय सामग्री के विश्लेषण हेतु दिए गए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए पाठ्यचर्या समूह द्वारा गठित की गई समीक्षा समिति में भाषा शिक्षा विभाग के हिंदी संकाय सदस्यों तथा सी.बी.एस.ई. के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करती है।



विषय-सूची



आमुख	iii
पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	v
भूमिका	vii
1. माता का अँचल	1
— शिवपूजन सहाय	
2. साना-साना हाथ जोड़ि...	10
— मधु कांकरिया	
3. मैं क्यों लिखता हूँ?	24
— अज्ञेय	
लेखक-परिचय	29



भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।